संख्या-316/2025/1258/22-2-2023-17(1088)/2019

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी असगर पुत्र श्री अफसर खां, निवासी-मुरादाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-2376/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.12.2022) दिनांक 24.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी असगर पुत्र श्री अफसर खॉं, ग्राम-स्योडारा, थाना-बिलारी, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। वादी के भाईयों की मेहनत से घर की तरक्की होने से अभियुक्तगण झगड़े पर आमादा रहते थे और इसी रंजिश में दिनांक 26/27.06.1994 को बंदी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व तमन्चों से गोली मारकर फरजंद व उसकी पत्नी बानो एवं रईस सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-709/1994 में भा०द०वि० की धारा-452 व 302/34 अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-13, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 10.11.2018 तक 14 वर्ष 09 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 02 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में बन्दी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने आपसी रंजिश में दिनांक 26/27.06.1994 को बंदी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व तमन्चें से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी असगर पुत्र श्री अफसर खॉं को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी असगर (बंदी संख्या-9278) पुत्र श्री अफसर खॉ, निवासी-मुरादाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-316/2025/1258(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि०) सं**0-27/2024** असगर व अन्य बनाम उ**0प्र0** राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2024 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-316/2025/1258/22-2-2023-17(1088)/2019

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी असगर पुत्र श्री अफसर खॉ, ग्राम-स्योडारा, थाना-बिलारी, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। वादी के भाईयों की मेहनत से घर की तरक्की होने से अभियुक्तगण झगड़े पर आमादा रहते थे और इसी रंजिश में दिनांक 26/27.06.1994 को बंदी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व तमन्चों से गोली मारकर फरजंद व उसकी पत्नी बानो एवं रईस सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-709/1994 में भा०द०वि० की धारा-452 व 302/34 अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-13, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 10.11.2018 तक 14 वर्ष 09 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 02 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में बन्दी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने आपसी रंजिश में दिनांक 26/27.06.1994 को बंदी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व तमन्चें से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी असगर पुत्र श्री अफसर खॉ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।